अत्यन्त महत्वपूर्ण

संख्या–1701/आठ–1–10

प्रेषक,

अरूण कुमार सिन्हा,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,

(1) आवास आयुक्त,
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।

(2) उपाध्यक्ष
समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।

(3) अध्यक्ष,
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1 लखनऊ : दिनांक 22 अप्रैल, 2010

विषयः– पेयजल समस्या के समाधान एवं सफाई व्यवस्था हेतु अभियान चलाकर कार्यवाही किये जाने के संबंध में।

महोदय,

ग्रीष्म ऋतु में बढ़ते तापमान के कारण नगरीय क्षेत्रों में पेयजल की समस्या के समाधान एवं संक्रामक रोगों से बचाव हेतु सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने के संबंध में नगर विकास विभाग द्वारा शासनादेश संख्या–797/नौ–7–10–27ज/2004, दिनांक 20.4.2010 के माध्यम से आवश्यक दिशा–निर्देश निर्गत किया गया है।

2– इस सम्बन्ध में नगर विकास विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश दिनांक 20.4.2010 की छायाप्रति संलग्नकर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया नगर निगमों/स्थानीय निकायों से आपसी सामंजस्य स्थापित करते हुए उक्त शासनादेश के माध्यम से दिये गये दिशा–निर्देश का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

संलग्नक : यथोपरि ।

(अरूण कुमार सिन्हा)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
2. प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग/ग्राम्य विकास विभाग/राजस्व विभाग/पर्यावरण विभाग/सिंचाई विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।
6. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
7. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक , नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ ।
8. निदेशक, अनुश्रवण, आवास बन्धु को इस आशय के साथ प्रेषित कि इसे वेबसाइट पर अप–लोड करते हुए समस्त संबंधितों को सूचित करना सुनिश्चित करें।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एच0पी0 सिंह)
अनु सचिव।

संख्या 1701 18-1-2010

अति महत्वपूर्ण/समयबद्ध

प.सं.-797/नौ-7-10-27ज./2004

प्रेषक,

आलोक रंजन
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी
लखनऊ/इलाहाबाद/कानपुर/आगरा/झाँसी/सहारनपुर/मेरठ/अलीगढ़/गौतमबुद्ध नगर/बरेली/गोरखपुर/मुरादाबाद/गाजियाबाद/वाराणसी।

नगर विकास अनुभाग-7 लखनऊ : दिनांक : 20 अप्रैल, 2010

विषयः **पेयजल समस्या के समाधान एवं सफाई व्यवस्था हेतु अभियान चलाकर कार्यवाही किया जाना।**

महोदय,

ग्रीष्म ऋतु में बढ़ते तापमान के कारण नगरीय क्षेत्रों में पेयजल की समस्या एवं संक्रामक रोगों आदि से बचाव के दृष्टिगत मानक स्तर की सफाई व्यवस्था सुनिश्चित किया जाना शासन की प्राथमिकता है। मा. मुख्यमंत्री जी द्वारा पेयजल आपूर्ति व सफाई के लिये समयबद्ध विशेष अभियान तत्काल चलाये जाने का निर्देश दिया गया है।

2- अतः उपर्युक्त के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पेयजल एवं सफाई की समस्याओं पर प्रभावी नियंत्रण हेतु समयबद्ध विशेष अभियान चलाकर निम्नवत् कार्यवाही सुनिश्चित की जाय :-

1. सभी नाले की सफाई का कार्य प्रत्येक दशा में 15 जून, 2010 से पहले पूर्ण कर लिया जाय। सफाई के दौरान निकलने वाले **सिल्ट** एवं **कूड़े-कचरे** को तत्काल उठाकर समुचित स्थान पर डाला जाय। इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश आपको सम्बोधित शासनादेश संख्या-724/9-7-10-27ज./2004 दिनांक-06 अप्रैल, 2010 के प्रस्तर-6 में दिये गये हैं जिनका अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

02. सीवर की सफाई का कार्य भी प्रत्येक दशा में 15 जून 2010 तक पूर्ण कर लिया जाय। सफाई के दौरान निकलने वाले सिल्ट/कूड़े - कचरे को तत्काल उठाकर समुचित स्थान पर डाला जाय।

03. नगरीय क्षेत्र का कूड़ा नित्य-प्रतिदिन डम्प-साईट तक पहुंचाया जाय।

04. नगरीय क्षेत्र में कूड़ा प्रबन्धन की संचालित परियोजनाओं को पूरी क्षमता के साथ संचालित किया जाय।

05. जिन शहरों में कूड़ा प्रबन्धन की परियोजनाएं अधूरी हैं उनको प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कर लिया जाय।

06. पशुबधशाला के अपशिष्ट का निस्तारण संगत मानकों के अनुसार सुनिश्चित किया जाय।
07. सफाई व्यवस्था में बाधक अतिक्रमण को तत्काल हटाया जाय।
08. बायो मेडिकल वेस्ट का निस्तारण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मानकों के अनुसार किया जाय। प्रदूषण नियंत्रण संबंधी नियमों का पालन न होने की स्थिति में बोर्ड द्वारा प्रभावी कार्यवाही की जाय।
09. शहर में पीने के पानी की सभी परियोजनाओं को पूरी क्षमता के अनुसार संचालित किया जाय। नियमित पेयजल आपूर्ति हेतु यह सुनिश्चित किया जाय कि सभी टयूबवेल क्रियाशील रहें।
10. खराब हैण्डपम्प की तत्काल मरम्मत की जाय तथा जिन हैण्डपम्पों को रीबोर किया जाना आवश्यक हो उन्हें उपलब्ध संसाधन से रीबोर कराया जाय।
11. पेयजल योजनाओं में अपेक्षित मरम्मत कार्य प्राथमिकता के आधार पर प्रत्येक दशा में 15 **मई,** 2010 तक पूर्ण करा लिया जाय।
12. पेयजल की जॉच कराकर उसकी गुणवत्ता सुनिश्चित की जाय।
13. जल प्लावित क्षेत्रों को चिन्हित कर उसकी कार्य योजना बना ली जाय ताकि वर्षा ऋतु में जल भराव की समस्या उत्पन्न न हो।
14. जिलाधिकारी द्वारा प्रश्नगत कार्यो के संबंध में एक कार्य योजना तैयार कर प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग तथा अपर कैबिनेट सचिव उ.प्र. शासन को प्रत्येक दशा मे 26 **अप्रैल,** 2010 तक उपलब्ध करा दी जाय।

3- मुझे यह भी कहना है कि उक्तानुसार सफाई एवं पेयजल से संबंधित कार्यवाही हेतु जिला स्तर पर जिलाधिकारी के नेतृत्व में अभियान चलाया जाय। अभियान में मुख्य रूप से नगर निगम, विकास प्राधिकरण, लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, ऊर्जा विभाग एवं पुलिस विभाग द्वारा अपेक्षित पूर्ण सहयोग प्राथमिकता के आधार पर प्रदान किया जाय। प्रत्येक दशा में उक्त कार्यो को विशेष अभियान के माध्यम से नियत अवधि में पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जाय। इसके दृष्टिगत अभियान काल में **कार्य योजना की प्रगति की समीक्षा जिलाधिकारी द्वारा प्रतिदिन अपने स्तर पर की जायेगी।**

4- पेयजल एवं सफाई व्यवस्था से संबंधित अभियान इस तरह संचालित किया जाय की इस संबंध मे क्षेत्र में प्रतिदिन उत्तरोत्तर सुधार परिलक्षित हो। इसे सुनिश्चित करने हेतु विशेष जॉच दल भेजकर आवश्यकतानुसार स्थलीय निरीक्षण कराया जायेगा तथा प्रत्येक माह पहले एवं तीसरे सोमवार को प्रातः 11:00 बजे अपर कैबिनेट सचिव, उ.प्र. शासन द्वारा संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ अभियान की प्रगति की समीक्षा की जायेगी।

कृपया निर्देशों का समयबद्ध ढंग से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए अभियान के दौरान उक्त प्रस्तर-2 के प्रत्येक विन्दु पर प्रत्येक माह के पहले एवं

तीसरे सोमवार से तीन कार्यदिवस पूर्व प्रगति विवरण **साफ्ट कॉपी** सहित निदेशक, स्थानीय निकाय उ.प्र., लखनऊ को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय। निदेशक, स्थानीय निकाय द्वारा उक्तानुसार निर्धारित बैठक से पूर्व प्रत्येक बिन्दु पर कृत कार्यवाही का विवरण शासन को उपलब्ध कराया जाय।

भवदीय

(आलोक रंजन)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं प्रभावी कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

01- अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ.प्र. शासन, लखनऊ।

02- प्रमुख सचिव/सचिव अवस्थापना, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, सिंचाई विभाग, ऊर्जा विभाग, लोक निर्माण विभाग को अद्यतन सूचना सहित बैठक में नियत समय पर प्रतिभाग करने हेतु।

03- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर।

04- समस्त संबंधित मण्डलायुक्त।

05- निदेशक, स्थानीय निकाय उ.प्र., लखनऊ को इस निदेश के साथ प्रेषित कि सीवर एंव नालों की सफाई तथा पेयजल समस्या के संबंध में सूचना उपलब्ध कराने हेतु दो दिन के अन्दर समस्त संबंधित को निर्धारित प्रारूप उपलब्ध कराते हुए प्रस्तर-4 में अपर कैबिनेट सचिव की बैठक से पूर्व सभी बिन्दुओं पर सूचना शासन को उपलब्ध करायी जाय।

06- समस्त संबंधित नगर आयुक्त, उ.प्र. को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त निर्देशों का कड़ाई से समयबद्ध अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

07- प्रबन्ध निदेशक, जल निगम, उ.प्र., लखनऊ।

08- संबंधित महाप्रबन्धक जल संस्थान, उ.प्र.।

09- निजी सचिव, अपर कैबिनेट सचिव को अपर कैबिनेट सचिव महोदय के सूचनार्थ।

10- नगर विकास अनुभाग-5 एवं 9

आज्ञा से

(आलोक रंजन)
प्रमुख सचिव।